राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा जिला—भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :— 243/2022 पा० पत्थ

1. कैलाशचन्द्र S/o भैरू सकवा— नि० थाणा तह० करेड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नेवा S/o गोपु सकवा नि० थाणा — तह० करेड़ा — माडै

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा०भू०रा०अधि० 1956

: आदेश : दिनांक 28/11/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाणा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 30 आराजी नम्बर 2083/0.6450 / 2085/2/0.1138 / कुलकिता 2 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन्ही तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

: आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थाणा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 30 आराजी नम्बर 2083/0.6450 / 2085/2/0.1138 कुलकिता 2 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू— अभिलेख निरीक्षक जालादा को 500/— रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नही की जावे।

संलग्न:— प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :— तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि ... पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर

को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

लगातार पेज नं. 02...